

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101)/आकाशि/ आईटी/ 2019-20/ AISHE/ 1720

दिनांक 4/11/19

समस्त प्राचार्य

राजकीय/ निजी / बीएड महाविद्यालय


राजस्थान

विषय : महाविद्यालय के लिए AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाकर AISHE कोड प्राप्त करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए All India Survey on Higher Education नवीन सत्र के लिए शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इस ऑनलाइन सर्वे के लिए सर्वप्रथम AISHE पोर्टल पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर AISHE कोड प्राप्त करना आवश्यक है। यह AISHE कोड राज्य एवं भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर महाविद्यालय के नाम जोड़े जाने के लिए अति आवश्यक है। यदि AISHE कोड की वजह से कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।


ऐसे महाविद्यालय जिनके नाम AISHE पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं वे अविलम्ब अपने महाविद्यालय का नाम "Request For Adding Institute in AISHE Portal" लिंक <http://aishe.nic.in/aishe/addInstitutePage> पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर सम्बंधित जानकारी भरें तथा Proof of Existence के लिए महाविद्यालय की राज्य सरकार की नवीनतम NOC व विश्वविद्यालय का नवीनतम affiliation पत्र एक ही pdf फाइल में बनाकर अपलोड करें। इसके पश्चात राज्य नोडल अधिकारी (SNO) व विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी (UNO) से Approval के बाद AISHE_MHRD नई दिल्ली द्वारा नाम जोड़ा जावेगा।

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार AISHE DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है, इससे पूर्व महाविद्यालय का नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर / श्री बनफूल अग्रवाल/ श्री संदीप कुमार से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।


(बी. एल. गोयल RAS)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-4) को भेजकर लेख है कि वे समस्त विश्वविद्यालयों को अपना नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं), पृथक से निजी महाविद्यालयों को अपना नाम AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त रजिस्ट्रार संबद्धक विश्वविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे सम्बद्ध महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतु पृथक से निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें एवं UNO (AISHE) को ऑनलाइन request की approval हेतु निर्देशित करें।
5. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के समस्त नवीन राजकीय महाविद्यालयों व निजी महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतु पृथक से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त नोडल महाविद्यालय सत्र 2019-20 में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतु आवश्यक request अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त OIC, (राज.महा.समूह-आकाशि) को भेज कर लेख है कि वे अपने से सम्बंधित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतु request अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
9. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त आयुक्त